

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या—३७६ / २०१९

जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पूर्वी सिंहभूम और अन्य याचिकाकर्तागण

बनाम

श्रीमती पुष्प लता पसारी विपक्षीगण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी

याचिकाकर्ता के लिए : श्री विनीत प्रकाश, अधिवक्ता

आदेश संख्या ०३ दिनांक—०२.०६.२०२०

याचियों के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि इस सिविल विविध याचिका को दाखिल करने से बहुत पहले एकमात्र विपरीत पक्ष—पुष्पा लता पसारी की मृत्यु हो गई थी।

यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि किसी मृत व्यक्ति के खिलाफ याचिका दायर नहीं की जा सकती है। यह सिविल विविध याचिका एकमात्र विपरीत पक्ष के खिलाफ दायर की गई है—जो इस याचिका को दाखिल करने से पहले ही मर चुका था, इस प्रकार यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्याया०)